

I/19010/2021

**NORTH CENTRAL RAILWAY, PRAYAGRAJ
WALK-IN-INTERVIEW FOR DOCTORS**

No.- [NCR-HQ0PERS\(GCDR\)/9/2020](#)

dated 05.05.2021.

Sub -Engagement of full-time Contract Medical Practitioners (CMP) General Duty Doctor at CH/PRYJ on Contract basis upto June 2021.

Ref.:- Railway Board's letters No. 2020/E(GR)II/COVID-19/WFH/1 dated 28.03.2020 31.03.2020 & 30.04.2021.

North Central Railway invites application from the doctors of **“Open Market”** as well as **“Retired Government Medical Officers of State Government/Central Government/IRHS officers (Railways)”**, to engage **30 (Thirty)** full-time Contract Medical Practitioners (CMPs) (26 GDMOs, 2 Physicians, 2 Anesthetists) at CH/PRYJ on Contract basis upto 31.03.2022 or till the pandemic of COVID-19 continue, whichever is earlier, as per details given below:

Name of Posts : CMP at CH/PRYJ

Number of vacancies:30 (Thirty) (26 GDMOs, 2 Physicians, 2 Anesthetists)

Community Break up: UR – 16, OBC - 6, SC-5, ST-3 Total-30

Date, Time & Venue of Walk-in-Interview:

The interested candidates can submit their applications alongwith documents in pdf format to e-mail ID drsanjay2003@gmail.com. Walk in interview will be conducted through video/audio call. The interested candidates can appear in the walk-in-interview on following date and time.

Walk-in-Interview through audio/ video	Date	Time
	12.05.2021(Wednesday)	10.00 hrs

Note:-

- (i) Candidates must be available for walk in interview through audio /video by **10.00 Hrs.** on 12.05.2021 (Wednesday).
- (ii) Candidate must submit their applications on the prescribed proforma enclosed alongwith relevant documents on **e-mail ID drsanjay2003@gmail.com.**
- (iii) In case, the numbers of candidates are more and they cannot be interviewed on the scheduled date/day, they will be interviewed on the next working day/days.
- (iv) Last date/time of submission of application :- **17.00 Hrs.** on 11.05.2021.
- (v) It is mandatory to provide mobile number and E-mail ID.

Educational Qualification :- MBBS for GDMO, Master Degree or Diploma in the concerned discipline from a recognized University and must have completed one year internship and also should be in possession of a valid Registration Certificate issued by any of the State Medical councils/Medical Council of India.

Remuneration for the doctors of open market: Rs.75,000/- for GDMO, **Rs.95,000/-** for Physician, **Rs.95,000/-** for Anesthetic Doctor, if Govt. accommodation is not provided. If Railway accommodation is provided, an amount equivalent to the sum of House Rent Allowance and License Fee of the accommodation provided will be deducted.

I/19010/2021

-2-

Remuneration for Retired Government Medical Officers of State Government/Central Government/IRHS Officers (Railways): **Rs.75,000/-** for GDMO, **Rs.95,000/-** for Physician, **Rs.95,000/-** for Anesthetic Doctor per month fixed {subject to the condition that remuneration + pension drawn by Retired Government Medical Officers of State Government/Central Government/IRMS officers (Railways) should not exceed the last pay drawn), if Govt. accommodation is not provided. If Railway accommodation is provided an amount equivalent to House Rent Allowance payable to a fresh entrant to Group 'A' Jr. Scale and license fee of the Railway accommodation, so provided shall be deducted from the monthly remuneration payable to the CMP.

Age for the doctors of open market:- Candidates should not have completed more than 60 years of age as on **01.04.2021**. However, age relaxation of 5 years for SC/ST and 3 years for OBC candidates is admissible.

Age for Retired Government Medical Officers of State Government/Central Government/IRMS Officers (Railways):- Candidates should not have completed more than **67 years** of age as on **01.04.2021**.

Terms and condition for the doctors of open market:-

The engagement of Doctors would be on contract basis upto 31.03.2022 or till the pandemic of COVID-19 continue, whichever is earlier. However, the services of these doctors can be terminated before the expiry period after giving 15 days notice on either side. Railway Administration will be at liberty to terminate the contract of the doctor with immediate effect by paying honorarium in lieu of 15 days notice period, if the circumstances, so warrant. It will also not confer upon them any right for regularization or permanent absorption in the Railways. Contract shall also be terminated, if the CMP is found to be mentally or physically incapacitated.

Terms and condition for Retired Government Medical Officers of State Government/Central Government/IRMS officers (Railways):-

The engagement of Retired doctors as CMPs shall be upto 31.03.2022 or till the pandemic of COVID-19 continue, whichever is earlier or till attaining the age of **67 years** whichever is earlier. The engagement shall purely be on contract basis. The Retired Government Medical Officers of State Government/Central Government/IRMS officers (Railways) engaged as Contract Medical Practitioner shall not have any claim or right for his/her continuity in service or automatic extension of the term of contract. During the validity of the contract, the CMP shall be at liberty to terminate the contract for betterment of his/her career or on any other grounds by giving 15 days notice to the Railways. The contract can also be terminated by the Railways at any time during the contract by giving 15 days notice without assigning any reason whatsoever. Contract shall also be terminated, if the CMP is found to be mentally or physically incapacitated.

-3-

No private practice is allowed.

Important Instructions:-

- (i) The contract Doctors shall not be entitled for Railway quarter etc. as a matter of right. However, if such a quarter is available, they will be provided accommodation. The detailed instructions with regard to their duties while on contract with the Railways, shall be given to them in the event of their selection along with the offer of engagement.
- (ii) Selected candidates should bring their application form along with **Original and Attested** copies of all Certificates & Mark Sheets, duly filled up on the prescribed format with them at the time of joining. No TA/DA is admissible for this interview.
- (iii) Administration has a right of transfer to selected candidate(s) any time in future from Central Hospital/Prayagraj to Divisional Hospitals/ Health Units situated in the jurisdiction to NCR, if required. The CMP Specialist Doctors so selected shall also have to carry out general duties as and when required by Railway Administration in addition to their specialty work.
- (iv) The number of vacancies may be changed as per requirement of the administration.
- (v) The notification can be downloaded from N.C. Railway website **www.ncr.indianrailways.gov.in** .
- (vi) After approval of the panel by competent authority, the suitable candidates will be called through e-mail/Mobile calls and SMS to report in Central Hospital, Prayagraj for posting. The candidates who do not report within the stipulated date and time will forfeit their chance of contract engagement and such engagement will be offered to the next empanelled candidate.
- (vii) The empanelled candidate(s) will undergo medical examination and will execute a "**Contract Agreement**" notarized and duly executed to concerned Personnel Branch. In this regard, instructions will be issued in the offer of engagement of the candidate(s).

I/19010/2021

Application format of Walk-in-interview for the doctors of "Open Market" as well as "Retired Government Medical Officers of State Government/Central Government/IRMS officers (Railways).

(Kindly indicate)-----

The General Manager (P)
Headquarters Office
North Central Railway
Subedarganj, Prayagraj.

Latest passport size photograph of candidate duly self attested half on photo and half on application

1. Name (In block letters)
2. Father/Husband's Name (in block letters).....
3. Permanent address:
4. Postal Address
5. **Mobile No.** **E.mail id**.....
6. Date of birth:..... Age as on **01.04.2021** (.....Days.....Months.....Years).
7. Date of retirement (Applicable only for retired doctors).....
8. Category to which belongs i.e. SC/ST, OBC, UR (Please write).....
9. Nationality:.....
10. Have you worked in Railway as a CMP, if yes, give details
11. Educational/Professional Qualifications:

Examination	Year of passing	Medical College/University	No. of Attempts	Marks		
				Max. Marks	Marks obtained	%age
High School/Equivalent						
Intermediate/Equivalent						
MBBS First Professional						
MBBS Second Professional						
MBBS Third Professional Part 1						
MBBS Third Professional Part 2						
Aggregate % in MBBS						
PG (MD/MS/Dip. all are taken to be PG equivalent (Kindly indicate discipline)						

12. Registration No. of Medical Council.....State where registered.....

13. Experience, if any.....

14. Self attested documents required along with the original are as under:-

- i) One recent passport size photograph.
- ii) Certificate indicating the Date of Birth (High School/Equivalent certificate)
- iii) MBBS Degree with marks sheets (All parts) and Certificate of any higher Medical Qualifications, if any, of Recognized University. (For the candidates applied for General Duty Doctors)
- iv) Internship completion Certificate.
- v) Registration certificate for Medical council of State/India.
- vi) Attempt Certificate is necessary
- vii) House job certificates, if any.
- viii) Certificates in support of caste in case of SC/ST & OBC issued by the appropriate authority.
- xi) Attested copy of Pension Payment Order (PPO) in case of Retired Government Medical Officers of State Government/Central Government/IRMS officers (Railways) only

I hereby declare that all the statements given in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information given herein, is found false or incorrect or concealed, the contract will be liable to be terminated and any civil/criminal legal action can be taken against me for this. I understand that I am not eligible for any TA/DA for this interview.

Place:

Dated:

Signature of the Candidate

I/19010/2021

उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
संविदा के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार

उत्तर मध्य रेलवे द्वारा 30 चिकित्सकों (सामान्य/विशेषज्ञ) को 31 मार्च 2022 अथवा COVID-19 महामारी खत्म होने, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए करार के आधार पर पूर्णकालीन तौर पर नियुक्त करने हेतु निम्नलिखित विवरण के आधार पर 'ओपेन मार्केट' के चिकित्सकों एवं केन्द्र /राज्य सरकार/भारे.चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत्त चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-
रिक्तियों की संख्या:-30

क्रम सं.	स्पेशलिस्ट/सामान्य ड्यूटी	पदों की संख्या	पदस्थापना का स्थान
1.	सामान्य ड्यूटी	26	केन्द्रीय चिकित्सालय, उमरे, इलाहाबाद
2	फिजीशियन	2	
3	एनेस्थिस्ट	2	

आरक्षण निम्न प्रकार से होंगे:-

सामान्य-16 अन्य पिछड़ा वर्ग **-6** अनुसूचित जाति-**5** अनुसूचित जनजाति **-3** कुल- **30**
इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन email id drsanjay2003@gmail.com पर दिनांक 11-05-2021 (17:00 बजे) तक PDF फॉर्म में भेज सकते हैं

साक्षात्कार एवं चिकित्सा परीक्षा की तिथि एवं समय :-

अभ्यर्थी को निम्नलिखित तिथि, समय पर on line साक्षात्कार हेतु उपलब्ध रहना होगा :-

साक्षात्कार (Audio/Video)	दिनांक	समय
	12-05-2021 (बुधवार)	प्रातः10:00 बजे

यदि किसी कारणवश संबंधित कोटियों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार निर्धारित तिथि पर संपन्न नहीं हो पाता है तो उसका साक्षात्कार अगले कार्यदिवस पर लिया जायेगा।

शैक्षणिक योग्यता- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से GDMO डॉक्टर हेतु एमबीबीएस एवं फिजिसियन व एनेस्थिस्ट के लिये संबंधित विषय में स्नाक्टोर डिग्री/डिप्लोमा एवं एक वर्ष की Internship, राज्य मेडिकल कौंसिल मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया से बैच प्रमाण पत्र होना चाहिये।

ओपेन मार्केट के डॉक्टरों को देय मानदेय:-यदि सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब रूपए **75,000/-** जनरल ड्यूटी एवं **95,000/-** फिजिसियन व एनेस्थिस्ट को प्रतिमाह दिया जायेगा। यदि सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है, तो हाउस रेंट एलाउन्स एवं लाइसेंस फीस के बराबर की रकम की कटौती की जायेगी।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/भारे.चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत्त चिकित्सकों को देय मानदेय:- यदि सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब रूपए **75,000/-** जनरल ड्यूटी एवं **95,000/-** फिजिसियन व एनेस्थिस्ट को प्रतिमाह, (बशर्त कि मानदेय+ सेवानिवृत्त डॉक्टरों द्वारा प्राप्त किये जाने वाला पेंशन उनके अंतिम पे ड्रॉन से अधिक नहीं होना चाहिए) दिया जायेगा। यदि सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है तो गुप ए कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को देय हाउस रेंट एलाउन्स और रेलवे आवास के लाइसेंस फीस के बराबर की रकम की कटौती सीएमपी के मासिक मानदेय से की जायेगी।

ओपेन मार्केट के चिकित्सकों हेतु आयु:- उम्मीदवार की आयु दिनांक **01.04.2021** को **60** वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए किन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए **05** वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए **03** वर्ष की छूट है।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/भारे.चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत्त चिकित्सकों हेतु आयु:- उम्मीदवार की आयु दिनांक **01.04.2021** को **67** वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

I/19010/2021

.2.

ओपेन मार्केट के चिकित्सकों हेतु नियम एवं शर्तें:— डॉक्टरों का अनुबन्ध प्रारम्भ में 31.03.2022 अथवा COVID-19 महामारी खत्म होने, जो भी पहले हो, तक के लिए होगा। रेलवे प्रशासन द्वारा 15 दिनों की नोटिस की परिस्थिति में तत्काल प्रभाव से 15 दिन के बराबर मानदेय दिया जा सकता है। करार के आधार पर इन डॉक्टरों द्वारा दी गयी सेवायें एक वैकल्पिक व्यवस्था है और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चयन के मामले में इस अवधि को कोई महत्व नहीं दिया जायेगा। इससे रेल सेवा में नियमित अथवा समाहित होने का अधिकार भी नहीं होगा। यदि कोई सीएमपी मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उस समय भी उसकी संविदा समाप्त कर दी जायेगी।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/भा.रे.चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत्त चिकित्सकों हेतु नियम एवं शर्तें:— सेवानिवृत्त डॉक्टरों का सीएमपी के रूप में अनुबन्ध 31.03.2022 अथवा COVID-19 महामारी खत्म होने, जो भी पहले हो, तक अथवा 67 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो भी पहले हो, तक होगा। सीएमपी के रूप में अनुबंधित किए गए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/भा.रे.चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत्त चिकित्सकों के पास अपनी सेवाओं को निरन्तर करने अथवा टर्म को स्वतः आगे बढ़ाने संबंधी कोई दावा इत्यादि करने का किसी भी तरह का अधिकार नहीं होगा। संविदा की वैधता की अवधि में संविदा के आधार पर डॉक्टरों को संविदा अवधि में किसी समय यह छूट होगी कि वह अपने कैरियर की बेहतरी के लिए अथवा अन्य किसी आधार पर रेलवे प्रशासन को 15 दिन की अग्रिम सूचना देकर संविदा खत्म कर सकता है। रेलवे प्रशासन भी संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर डॉक्टरों को बिना किसी कारण को परिभाषित किए संविदा की समाप्ति कर सकता है। यदि कोई सीएमपी मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उस समय भी उसकी संविदा समाप्त कर दी जायेगी।

प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है।

आवश्यक निर्देश :-

- (1) करार के आधार पर नियुक्त डॉक्टर आधिकारिक रूप से रेलवे क्वार्टर के हकदार नहीं होंगे फिर भी आवासों की उपलब्धता पर उन्हें आवास की व्यवस्था की जा सकती है। रेलवे के साथ करार के दौरान उनकी ड्यूटी के संबंध में विस्तृत निर्देश उनके चयनित हो जाने पर नियुक्ति पत्र के साथ दिया जायेगा।
- (2) इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन सभी प्रमाणपत्रों एवं अंकपत्रों की मूल एवं सत्यापित छायाप्रति के साथ संलग्न प्रोफार्मे में पूर्ण रूप से भरकर भेजें। साक्षात्कार के लिए कोई दैनिक महंगाई/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (3) प्रशासनिक हित में यदि आवश्यक हुआ तो चयनित अभ्यर्थियों को भविष्य में कभी भी केन्द्रीय चिकित्सालय इलाहाबाद से उत्तर मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में स्थित अन्य चिकित्सालयों/हेल्थ यूनिट में स्थांतरण करने का अधिकार प्रशासन के पास सुरक्षित होगा। रेलवे प्रशासन, आवश्यकता पड़ने पर करार के आधार पर चयनित विशेषज्ञ चिकित्सकों से उनके विशेष कार्यों के अतिरिक्त सामान्य ड्यूटी के कार्य भी करा सकता है।
- (4) यदि विशेषज्ञों के पद पर अभ्यर्थी नहीं पाए जाते हैं, तो उनके पदों को समान ड्यूटी के डॉक्टरों के पदों से भरा जायेगा।
- (5) प्रशासनिक आवश्यकतानुसार विज्ञापित रिक्तियों के स्थान एवं संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- (6) अधिसूचना की प्रति उत्तर मध्य रेलवे के वेबसाइट www.ncr.indianrailways.gov.in से अपलोड की जा सकती है।
- (7) उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों को e-mail/टेलीफोन/एस.एम.एस. के द्वारा केन्द्रीय चिकित्सालय इलाहाबाद में पदस्थापना हेतु निर्धारित तिथि एवं समय की सूचना दी जायेगी। जो उम्मीदवार निर्धारित समय या तिथि पर रिपोर्ट नहीं करेंगे वे अपना संविदा का अवसर खो देंगे और उनके स्थान पर अगले इम्पैनल्ड अभ्यर्थी को बुला लिया जायेगा।
- (8) चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग से पूर्व चिकित्सा परीक्षण कराना होगा एवं साथ ही काण्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो कार्मिक शाखा द्वारा नोटराइज्ड रहेगा, भरना होगा। इस संबंध में दिशा-निर्देश अभ्यर्थियों के ऑफर ऑफ इंगेजमेंट में उल्लिखित कर दिया जाएगा।

I/19010/2021

ओपेन मार्केट के चिकित्सकों हेतु आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

महाप्रबंधक/कार्मिक
प्रधान कार्यालय,
उत्तर मध्य रेलवे, सूबेदारगंज,
प्रयागराज।

नवीनतम
पासपोर्ट साइज
स्वप्रमाणित
फोटो

1. नाम स्पष्ट अक्षरों में
2. पिता/पति का नाम स्पष्ट अक्षरों में.....
3. स्थाई पता.....
4. पत्राचार का पता,
5. **मोबाइल नं० वीडियो कॉल हेतु** ई-मेल आईडी
6. जन्मतिथि..... (.....दिन.....माह.....वर्ष)
7. सेवानिवृत्त की तिथि ;केवल सेवानिवृत्त डॉक्टरों के लिये
8. जिस कोटि से हैं (लिखें) सामान्य, अ.जा., अज.जा और अ.पि.जा.....
9. राष्ट्रीयता.....
10. क्या आप किसी रेलवे में संविदा चिकित्सक के रूप में कार्य कर चुके हैं, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें
.....
11. शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता

परीक्षा	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	मेडिकल कॉलेज/ विश्वविद्यालय का नाम	एटैम्प्ट्स की संख्या	अंक		
				पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हाई स्कूल/समकक्ष						
इण्टरमीडिएट/समकक्ष						
एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष						
एम.बी.बी.एस. द्वितीय वर्ष						
एम.बी.बी.एस. तृतीय वर्ष भाग.-I						
एम.बी.बी.एस. तृतीय वर्ष भाग.-II						
एम.बी.बी.एस.अंकों का संपूर्ण प्रतिशत						
पीजी (एमडी/एमएस/डिप्लोमा सभी पीजी के समतुल्य माने जायेंगे)। कृपया डिप्लोमा अंकित करें।						

- 12 चिकित्सा परिषद की पंजीकरण संख्या या.....प्रदेश.....
- 13 अनुभव यदि कोई हो.....
- 14 निम्नलिखित प्रमाणपत्रों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है (सत्यापित प्रतियों के साथ मूल प्रति भी हो)
 - (i) हाल ही में पासपोर्ट आकार का एक फोटो
 - पद जन्मतिथि के लिए प्रमाणपत्र (हाईस्कूल/समकक्ष का प्रमाणपत्र)
 - पद सामान्य ड्यूटी अभ्यर्थियों द्वारा एम.बी.बी.एस. की डिग्री एवं अंकपत्र (सभी भाग) तथा यदि कोई अन्य उच्चतर मेडिकल योग्यता हो तो उसकी डिग्री प्रमाणपत्र।
 - पद इंटर्नशिप प्रमाणपत्र
 - अद भारत/राज्य के चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रेशन संख्या
 - अद अटैम्प्ट प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
 - अपद हाउस जॉब प्रमाणपत्र यदि हो तो।
 - अपपद अनु.जा./अनु.ज.जाति/अ.पि.जाति से संबंधित प्रमाणपत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में दिए गए विवरण सत्य, पूर्ण तथा मेरी जानकारी व विश्वास से सही है। मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि यहां दी गयी जानकारीयों में से कोई भूल से गलत हो या मैंने कुछ छिपाया हो तो मेरी सेवाएँ समाप्त कर दी जायेंगी और मेरे विरुद्ध सिविल आपराधिक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। मैं यह जानता/जानती हूँ कि मैं इस साक्षात्कार के लिए किसी भी यात्रा/महंगाई भत्ते का हकदार नहीं हूँ।

I/19010/2021

स्थान.....
दिनांक.....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर